

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/120/2020, रजि0 न0 2020/00240

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री कलीराम पुत्र धनपतराम, निवासी 116,  
अल्कापुरी अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर  
विकास न्यास अलवर, जिला अलवर  
(राजस्थान)


अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 05.01.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 27.10.2020 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.12.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर से जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया किन्तु सूचना आदिनांक तक अप्राप्त है, पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने जारी नोटिस/स्मरण पत्र जारी करने के उपरान्त भी अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपील अपीलांत स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है यदि सूचना देयता की श्रेणी में आती है, तो अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करायी जावे। साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर को निर्देशित किया जाता है, की सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण में आपके द्वारा उक्त कार्यवाही का अभाव रहा है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



  
(नन्नुमल पहाड़िया)  
जिला कलक्टर, अलवर